संख्या : 989 / 1–10–13–33(106) / 2012

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ : दिनॉकः 16 अप्रैल, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में दैवी आपदा कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–13 / मा0मु0मं0घोषणा–स्टीमर / आ0रा0लि0, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा से निपटने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04.04.2012 को जनपद लखीमपुर खीरी के भ्रमण के दौरान बाढ से सुरक्षा के दृष्टिगत दो स्टीमर नाव उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी की गयी घोषणा के कियान्वयन किये जाने के दृष्टिगत उक्त स्टीमर बोट कय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में श्री राज्यपाल महोदय कुल धनराशि रू0 17,50,000 / – (रु0 सत्रह लाख पचास हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरुप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग / समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2 / 1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन / दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाये। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाये। जिलाधिकारी लखीमपुरखीरी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारुप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

6– व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 989(1)/1–10–13–33(106)/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार–प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2–आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
5–वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6–मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
7–वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5।
8–समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9–निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।